न्यायालय –अवर न्यायाधीश, सोनपुर, सारण।
बंटवारा वाद सं0–30/2015.

05.02.2020

आदेश

उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक–22.11.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से आदेश–22 नियम–4 सि0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल कर कथन है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0–2 राजेश्वर तिवारी की मृत्यु दिनांक–15.06.2019 को हो गयी हैं। वादी को प्रतिवादी सं0–2 की मृत्यु की जानकारी पूर्व में नहीं हुयी वो जानकारी होने के बाद वादी ने उनके विधिक उतराधिकारी को न्यायहीत में प्रतिस्थापित करने हेतु यह आवेदन दिया हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0'–2 का नाम कलमजद कर न्यायहीत में उनके वारीसानों का नाम 1. शशि तिवारी उर्फ अमरसन तिवारी 2. मुन्नी देवी, 3. चुनका देवी 4. विद्यावती देवी प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

वादी की ओर से दिनांक–22.11.2019 को अबेटमेंट सेट एसाईड करने हेतु आवेदन दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादी सं0–2 के मृत्यु के संबंध में उनके विधिक उतराधिकारी को पक्षकार बनाने हेतु वादी ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया हैं। अतः न्यायहीत में अबेटमेंट सेट एसाईड करने की कृपा की जाए । साथ ही वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत भी विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन दिया गया हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रत्युतर दाखिल नहीं किया गया हैं। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ को विगत तिथी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैं कि इस वाद में प्रतिवादी सं0–2 राजेश्वर तिवारी थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात यह प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से उनके वारीसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया गया हैं। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकृत न करने हेतु मौखिक निवेदन किया गया क्योकि वादी ने जानबूझकर प्रतिस्थापना आवेदन विलम्ब से दाखिल किया हैं।

न्यायालय का अभिलेख के अवलोकन एवं आवेदन पर विचार करने के पश्चात यह मंतव्य है कि वादीगण ने अपने आवेदन में प्रतिवादी सं0–2 की मृत्यु की जानकारी विलम्ब से प्राप्त होने की बात कही हैं। अतः न्यायहीत में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को अबेटमेंट सेट एसाईड करते हुए 500/– रू0 खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता हैं। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे समय सीमा के भीतर प्रतिवादी सं0–2 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके वारीसानो का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक–12.02.2020 को वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

अवर न्यायाधीश,
सोनपुर